

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 40/2023  
जीसीएमएस नं. 2023/97

दायर दिनांक 08.09.2023  
निर्णय दिनांक 11.06.2025

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा जिला डूंगरपुर

— अपीलाण्ट

बनाम

श्री भगवान पिता दलजी पाटीदार निवासी ओड तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर

— रेस्पोजेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ  
भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थित — 1.राजकीय परोकार — अपीलाण्ट

—:निर्णय:—

दिनांक —11.06.2025

1. अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 तहसीलदार सागवाडा की ओर से प्रस्तुत किया है जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि मौजा ओड के खसरा नम्बर 2996 रकबा 0.1618 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 78/2021 दिनांक 06.10.2021 को विपक्षी श्री भगवान पिता दलजी पाटीदार, रमीला पत्नी भगवान पाटीदार निवासी ओड तहसील सागवाडा को प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई एवं न ही गौके पर आदिनांक तक कब्जा है, उक्त भूमि वर्तमान में पडत एवं तालाव पेटे के रूप में पडी हुई है, उक्त भूमि गैर खातेदार दर्ज होकर आवंटन शर्तों की पालना नहीं होकर आवंटन नियम 14 (3) की पालना नहीं होने से निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

दिनेश धाकड़  
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :-श्री दिनेश धाकड (आर.ए.एस.)

मु.नं. -40/2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयो. भूमि आवंटन नियम 1970

उनवान- तहसीलदार सागवाडा बनाम भगवान

वर्ष 2022, द्वितीय वर्ष 2023 एवं तृतीय वर्ष 2024 में काश्त किया जाना होता है। उपरोक्त वर्षों की प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में फसल काश्त किया जाना साबित नहीं होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अपील स्वीकार की जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये आवंटन आदेश मौजा ओड के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2996 रकबा 0.1618 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 78/2021 दिनांक 06.10.2021 को विपक्षी श्री भगवान पिता दलजी पाटीदार निवासी ओड तहसील सागवाडा को प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित को निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सागवाडा आवंटित भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।



(दिनेश धाकड)

अतिरिक्त जिला कलक्टर


डूंगरपुर

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी को नोटिस की विधिवत तामील होने के उपरान्त नियत दिनांक 14.10.2024 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, ऐसी परिस्थिति में विपक्षी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रकरण में पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस समाप्त की गई।

3. पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन कि आवंटी/विपक्षी द्वारा आवंटन वर्ष 2021 से लेकर 3 वर्षों के उपरान्त भी आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है एवं न ही वह मौके पर काबिज काश्त है। आवंटित भूमि अब तक गैर खातेदार में दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन निरस्त योग्य होने से इसे निरस्त फरमाया जावे।

4. हमने बहस पर मनन किया ।

4. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौजा ओड के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2996 रकबा 0.1618 है० भूमि जरिये मिसल नंबर 78/2021 दिनांक 06.10.2021 को विपक्षी विपक्षी श्री भगवान पिता दलजी पाटीदार, रमीला पत्नी भगवान पाटीदार निवासी ओड तहसील सागवाडा को प्रशासन गोंवों के संग अभियान 2021 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी। तहसीलदार सागवाडा द्वारा उपरोक्त आवंटित आराजी को निरस्त कराने हेतु अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 पेश किया जिसमें उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किया जाना एवं आवंटित आराजी पर आदिनांक तक कब्जा नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा नियम 14 (3) की पालना नहीं की हैं। राजकीय पैरोकार द्वारा बहस में यह कथन किया है की नियम 14 (3) अनुसार आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि को काश्त एवं उपयोग किया जाना आवश्यक हैं। आवंटी को आराजी वर्ष 2021 में आवंटित हुई। अतः आवंटित भूमि पर आवंटन के प्रथम

  
दिनेश धाकड़  
अति. जिला कलक्टर, झुंगरपुर